न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 93/2020 **दायर तारीख :–** 16-07-2020

1. विमला देवी पत्नि बृजमोहन जाति खटीक निवासी मैड़ तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— **प्रार्थीया**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— **अप्रार्थी**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.02.2021

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गालावास पटवार हल्का जोधूला के खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 333/0.15, 512/1.11 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। प्रार्थीया ने अपने हाल खसरा नंबर 512 रकबा 1.11 हैक्टेयर का तहसीलदार विराटनगर के आदेश कमांक– 2020 दिनांक 16.06.2020 की पालना में दिनांक 24.06.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थीया अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम गालावास पटवार हल्का जोधूला के खाता संख्या 59 के हाल खसरा नम्बर 512 रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन, पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण मय पुलिस इमदाद से किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम गालावास खाता संख्या 59 संवत् 2074–77, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 24.06.2020 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम गालावास के खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 333/0.15, 512/1.11 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीया की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीया ने अपने हाल खसरा नंबर 512 रकबा 1.11 हैक्टेयर का तहसीलदार विराटनगर के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

क्रमांक– 2020 दिनांक 16.06.2020 की पालना में दिनांक 24.06.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से वखूबी सावित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम गालावास के खसरा नम्वर 512 रकवा 1.11 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
विराट नगर, जयपुर